

श्रीमती चन्दा बनाम बुधराम बौरा

नम्बर व अहकाम हुकम की में जा	दावा हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>चाहते हैं।</p> <p>आदेश</p> <p>वादीगण</p> <p>आदेश</p> <p>जानी</p> <p>दस्तावेज पर</p> <p>को</p>	<p>किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन की पुष्टि होती है। अदालत के दौरान वकील वादीगण ने दावा वापिस कर पुनः नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति देने का निवेदन किया है।</p> <p>अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 C.P.C. स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह दावा वाई वाई ला होने के कारण खारिज किया जाता है साथ ही वादीगण को न्यायद्वारा नवीन दावा प्रस्तुत करने की अनुमति भी प्रदान की जाती है। वादीगण को दस्तावेज वापिस किस जावे। पत्रावली के सल्लुमार होकर नम्बर से कम हो नव ब्राह तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	

डा. बिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी